

प्रारूप-2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, झुझुनू

दूरभाष एवं फॅक्स नम्बर- 01592 - 235475/235474 E.mail Id :- deoplejin@gmail.com

क्रमांक - जिशिअ / प्रार / झु / मान्यता / 2012 / 784

दिनांक - 30.10.11

प्रबन्धक

विश्व भारती सी.के. स्कूल,
सिंघाना

विषय - नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रायोजन के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उा नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया

19.10.11

आपके दिनांक-23 फरवरी 2012 के अर्देदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पर्याप्तवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं 14/11/11

(माध्यम) को दिनांक-सब 2012 से दिनांक-31/3/12 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ण किए जाने के अध्याधीन है -

- मान्यता की मजदूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्याप्त मान्यता/संबन्धन के लिए कोई बाधकता विद्यमान नहीं है।
- विद्यालय नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध 1) और नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पाइस के कमजोर वर्गों और अन्तर्गत पर समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसकी पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- कक्षा 3 में विनिर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सासायटी/विद्यालय किसी कंपिटिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या सरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा। विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या ब्रजजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है।
- विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि -
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालको शारीरिक टण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकाधिक किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निशक्तता शक्त/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(i) के अधीन तथा अधिकतम न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अधिर्ण करेगे।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(i) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा है।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगे।

dl

8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्य घर्षा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विधालय अधिनियम की धारा-19 में अधिकथित विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विधालय अधिनियम की धारा-19 में यथा निर्दिष्ट विधालयों के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधारे निम्नानुसार हैं-
विधालय परिसर का क्षेत्र
कुल निर्मित भवन
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल
कक्षा कमरो की संख्या
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष
बासक और बालिकाओंके लिए पृथक शौचालय
पेयजल सुविधा
निद-टे-मील पकाने के लिए रसोई
बाधा रहित पहुंच
अध्यापक पठन सामग्री/कीड़ा खेलकुद उकस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विधालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विधालयों के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
12. विधालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विधालय को राजस्थान सोसायटी पजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोकन्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
14. विधालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समुह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
15. विधालय के लेखाओं के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विधालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक 784 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विधालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) झुन्झुनू द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालना को सुनिश्चित करने या विधालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
18. सोसायटी के पजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
19. मलगन उपाबंध-111 के अनुसार अन्य कोई शर्त।

10. RTI 2009 के समेत शायद्यों की पूर्ण संवरण कर, भवदीय
बहना कोषकी मान्यता रिस कर की मांगेंगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, झुन्झुनू